न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– श्री मुकेश कुमार चौधरी (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 8/2017

उनवान

1. किशनी पत्नी नन्दा,
2. पप्पू,
3. कालू
4. मुकेश,
5. मुन्ना, वा0
6. दिनेश ना.वा. जरिये संरक्षक माता किशनी,
7. कमला,
8. मन्जू पि0 नन्दा,
9. पूसी पत्नी उदा समस्त जाति गुर्जर नि0 कानपुरा, नसीराबाद

–– वादीगण :– जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नसीराबाद

–– प्रतिवादी :– जरियें राज0 पैरोकार

वाद क्षेत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 92 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 136 भू राज0 अधि0 1956

–: निर्णय :– दिनांक :–18.2.19

अधिवक्ता वादीगण ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम कानपुरा के वंर्किग खसरा नम्बर 1010 रकबा 3–0–0 हाल खसरा नम्बर 401/0.27 है0, 401/5601/0.12 है0 व 400 मिन/0.09 है0 की आराजी वादी संख्या 9 के पति उदा पुत्र हमीरा जो वादी संख्या 1 से 8 के पूर्वज है को दिनांक 11.11.1975 को आवंटित की गयी एवं आवंटित भूमि पर कब्जा सुपुर्द किया गया। उदा पुत्र हमीरा की मृत्यु हो गयी है जिसके वारिस वादीगण ही है। तथा आराजी मुतनाजा पर आज दिवस तक वादीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त आवंटिज भूमि का वंर्किग जमाबंदी में विधिवत अमल दरामद किया गया। किन्तु हाल राजस्व अभिलेख में हाल खसरा नम्बर 401/0.27 है0, 401/5601/0.12 है0 व 400 मिन/0.09 है0 की आराजी को वादीगण के नाम खातेदारी दर्ज करने के बजाय त्रुटिपूर्ण तरीके से सिवायचक दर्ज कर दी गयी। अतः आराजी मुतनाजा का खातेदार वादी को घोषित किया जावे।

राज0 पैरोकार ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि वंर्किग जमाबंदी में खसरा नम्बर 1010 रकबा 3–0–0 नामान्तकरण संख्या 677 दिनांक 11.2.83 से उदा पुत्र हमीरा के नाम खातेदारी दर्ज है। उक्त नामान्तकरण किसी कार्मिक द्वारा प्रमाणित नही है। हाल खसरा नम्बर 41/5601 प्रतिवादी संख्या 1

––2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

Scanned by CamScanner

के नाम जरिये विक्रय दर्ज हुआ है प्रतिवादी संख्या 1 उदा पुत्र हमीरा की पुत्र वधू है। खसरा नम्बर 400 व 401 सिवायचक दर्ज है।

वाद पत्र व जवाब के आधार पर प्रकरण में निम्न तनकियात कायम की गयी :–

1. आया वादग्रस्त आराजी वादीगण के पूर्वज को विधिक रूप से आवंटित है,?

——वादी

2. आया आराजी मुतनाजा का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण होने से वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण खातेदारी प्राप्ति व स्थायी निषेघाज्ञा प्राप्ति के अधिकारी है ?

—— वादी

3. अनुतोष ?

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख, शजरा प्रमाण पत्र पेश किये एवं किशनी पत्नी नन्दा, श्योराज पुत्र हमीरा व सुवा पुत्र रघुनाथ के शपथ पत्र पेश किये।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता वादीगण ने कथन किया कि वादग्रस्त आराजी वादीगण के पूर्वज को विधिवत आवंटित हुयी थी। हाल खसरा नम्बर 401/5601 त्रुटिपूर्ण तरीके ये काना मुतबन्ना फूला के नाम दर्ज कर दिया गया जिस कारण उक्त खसरा नम्बर प्रतिवादी संख्या 1 ने काना मुतबन्ना फूला से क्रय कर ली। अन्य खसरा नम्बर 400 व 401 त्रुटिपूर्ण तरीकें से सिवायचक दर्ज कर दिये गये। जबकि वंर्किग जमाबंदी अनुसार समस्त खसरा नम्बर वादीगण के नाम दर्ज करने चाहिये थे। बतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जावे।

राज0 पैरोकार ने दौराने बहस कथन किया कि खसरा नम्बर 400 व 401 हाल राजस्व अभिलेख में सिवायचक दर्ज है। अतः वादी का वाद खारिज किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन व अनुशीलन किया। विद्वान अधिवक्ता वादीगण व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया। तनकी अनुसार निर्णय निम्नवत् है :–

तनकी संख्या 1 व 2 :–

वंर्किग खसरा नम्बर 110 रकबा 3–0–0 उदा पुत्र हमीरा के नाम खातेदारी दर्ज है। राज0 पैरोकार ने जवाब में कथन किया है कि वंर्किग जमाबंदी में उक्त अंकन नामान्तकरण संख्या 677 दिनांक 11.2.83 से आया है किन्तु नामान्तकरण की प्रमाणित प्रति पेश नही की है। वाद विचारण के दौरान वादीगण के अधिवक्ता द्वारा नामान्तकरण संख्या 677 दिनांक 11.2.83 की प्रमाणित प्रति पेश की है। उक्त नामान्तकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि उदा पुत्र हमीरा उक्त आराजी पर गैर खातेदार दर्ज था। जिसके आवंटन को 7 वर्ष पूर्ण होने व शेष अवधि का ढाई गुणा लगान जमा कराने के बाद गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार दिये गये। नामान्तकरण में आवंटन शर्तो की पालना करने बाबत तथ्य भी अंकित है। उक्त नामान्तकरण नियमानुसार स्वीकृत हुआ है जिसकी पालना तत्कालीन वंर्किग जमाबंदी में की गयी। वादीगण ने आराजी मुतनाजा आवंटन का पट्टा भी पेश किया है जिसके अनुसार उदा पुत्र हमीरा को उक्त आराजी दिनांक 11.11.75 को आवंटित हुयी। जिससे स्पष्ट है कि वादीगण के पूर्वज उदा पुत्र हमीरा को उक्त आराजी विधिवत आवंटित हुयी थी।

बंदोबस्त विभाग को उक्त आराजी विधिवत तरीके से राजस्व अभिलेख में वादीगण के पूर्वज/वादीगण के नाम दर्ज करनी चाहिये थी किन्तु उनके वादग्रस्त आराजी के खसरा नम्बर 400 व 401 त्रुटिपूर्ण तरीके से सिवायचक दर्ज कर दी गयी। राज0 पैरोकार का कथन है कि आराजी मुतनजा सिवायचक होने के कारण वादीगण का वाद खारिज किया जावे। वादग्रस्त आराजी सिवायचक होने के आधार पर वादीगण का वाद खारिज नही किया जा सकता है। तहसीलदार नसीराबाद द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज अथवा अभिलेख पेश नही किया है जिससे सिद्व होता हो कि उक्त आवंटन के विरूद्व कोई 14 (4)

——3

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

Scanned by CamScanner

की कार्यवाही हुयी है। ना ही यह स्पष्ट किया है कि आराजी मुतनाजा किस आदेश से सिवायचक दर्ज की गयी। उदा पुत्र हमीरा के पक्ष में किये गये उक्त आवंटन को आज दिवस तक किसी सक्षम न्यायालय में चुनौती नही दी गयी है। साथ ही उक्त आवंटन निरस्त होने का काई प्रमाण पत्रावली पर उपलब्ध नही है। ऐसी स्थिति में उक्त आराजी जो वादीगण के पूर्वज को आवंटित की गयी का आवंटन आज दिवस तक कायम है। जब तक आंवटन के निरस्त करने की कार्यवाही नही होती तथा सक्षम न्यायालय में आवंटन को चुनौती नही दे दी जाती है तब तक आवंटन बहाल रहता है। वादग्रस्त आराजी का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्व होता है। उक्त आराजी हाल राजस्व अभिलेख में वादीगण/पूर्वज के नाम दर्ज करनी चाहिये थी जो बदोंबस्त विभाग ने बिना किसी अधिकार के सिवायचक दर्ज कर दी है। खसरा नम्बर 401/5601 को हाल राजस्व अभिलेख में काना मुतबन्ना फूला के नाम दर्ज कर दिया जो गलत दर्ज होने के कारण वादी संख्या 1 द्वारा उक्त आराजी काना से क्रय की है। वादीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत शजरा प्रमाण पत्र से स्पष्ट है कि वादीगण ही उदा पुत्र हमीरा के विधिक वारिसान है। अतः तनकी संख्या 1 व 2 बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

उक्तानुसार ग्राम कानपुरा के हाल खसरा नम्बर 400 मिन रकबा 0.09 है0 व 401 रकबा 0.27 है0 पर वादीगण का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। वादीगण को उक्त आराजी का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Scanned by CamScanner

डिक्री व मुकदमें इन्लाई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

किशनी वगै0 बनाम राज0 सरकार

दावा बाबत :– 88, 188, राज. का. अधि0 1955 व 136 भू राज. अधि.1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 8/2017
पेश करने की दिनांक – 4.1.17

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू मुकेश कुमार चौधरी (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुद्दई व राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम कानपुरा के हाल खसरा नम्बर 400 मिन रकबा 0.09 है0 व 401 रकबा 0.27 है0 पर वादीगण का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। वादीगण को उक्त आराजी का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक—— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 18 माह 02 सन् 2019 को जारी की गयी।

मुद्दई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Scanned by CamScanner